

परिपत्र

पत्रांक १२१८ / आयु.क.उत्तरा./वा.क./कम्प्यूटर-अनुभाग/देवून/०९-१०

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड,
(कम्प्यूटर-अनुभाग)
दिनांक: देहरादून: २७, जून 2009

समस्त डिप्टी कमिश्नर(क.नि.)वाणिज्य कर,
समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर,
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

वाणिज्य कर विभाग द्वारा पंजीकृत व्यापारियों के लिए मासिक/त्रैमासिक रूपपत्र इलैक्ट्रोनिक माध्यम से दाखिल करने की सुविधा संस्थापित की जा रही है। ऐसे व्यापारी जो आन लाइन रिटर्न फाइल करना चाहते हैं इन्टरनेट के माध्यम से इसका लाभ उठा सकेंगे। इस सुविधा का लाभ उठाने हेतु वे प्रार्थना पत्र विभाग को देंगे जिस पर उन्हें विभाग द्वारा यूजर आई.डी.तथा पासवर्ड दिया जाएगा जिसे सुरक्षा की दृष्टि से बदला जाना आवश्यक है।

आन लाइन रिटर्न फाइल करने हेतु सर्वप्रथम NIC की वेबसाइट www.gov.ua.nic.in पर जाकर commercial tax पर विलक करने पर विभागीय वेबसाइट खुलेगी जिसमें click here for e-filing पर विलक करने पर ई-फाइलिंग से सम्बन्धित विवरण सामने आयेगा जिसमें Annexure-sales accounts, purchase list and sales lists पर अलग अलग विलक करते हुए तीनों फार्मेट डाउन लोड कर व्यापारी अपने कम्प्यूटर में अपनी सुविधानुसार save कर लेंगे। इन सभी फार्मेट में विवरण आफ लाइन भरे जायेंगे। यह फार्मेट xls फाइल में है। इसमें विवरण भरने से पूर्व सुरक्षा की दृष्टि से प्रोग्रामिंग इस प्रकार की गई है कि macro enable करना आवश्यक है जिसके लिए tools में जाकर विलक करने पर जो सूची सामने आयेगी उसमें macro पर विलक करना होगा जिसके बाद स्क्रीन पर Security features आयेगे जिसमें low security पर विलक करना है। उक्त तीनों फाइलों में विवरण भरने के बाद फार्मेट में उपर लिखे शब्द make XML पर विलक करने पर फाइल स्वतः ही XML फार्मेट में परिवर्तित हो जायेगी एवं save करने हेतु फाइल का नाम अंकित किये जाने का आपशन स्क्रीन पर दर्शित होगा इसे o.k. पर विलक करने के बाद विवरण की रेन्ज जहाँ तक विवरण भरे जाने हैं, को अंकित करते हुए o.k. पर विलक करने पर स्वतः ही तीनों फाइलें c:/drive में सेव हो जायेगी।

मुख्य रिटर्न भरने हेतु ई-फाइलिंग से सम्बन्धित मुख्य पृष्ठ पर दाहिनी ओर यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड जो विभाग द्वारा दिए गए हैं, को एन्टर करते हुए sign in पर विलक करने पर अगला पृष्ठ खुलेगा जिसमें पासवर्ड बदलने की प्रक्रिया दी गई है। इसमें ऊपर change your password अंकित है। विभाग द्वारा दिये गये पासवर्ड को

-3-

वर्तमान में आन लाइन रिटर्न भरने की सुविधा इस सीमा तक है कि व्यापारी द्वारा नियत तिथि तक ई-फाइलिंग के माध्यम से रिटर्न फाइल की जाएगी तथा रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि से 15 दिन के अन्दर सम्बन्धित रिटर्न पेपर फार्म में कार्यालय में दाखिल करेगे। रिटर्न की ई-फाइलिंग की प्रक्रिया के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण NIC की वेबसाइट ua.nic.in में commercial tax की वेबसाइट पर उपलब्ध है जिससे ई-फाइलिंग की प्रक्रिया का अध्ययन किया जा सकता है।

ई-फाइलिंग के सम्बन्ध में शीघ्र ही मूल्य वर्धित कर अधिनियम में भी प्राविधान किया जा रहा है जिसके बाद रिटर्न पेपर फार्म में दाखिल करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

(एल.एम.पन्त)

27/6/2009

आयुक्त कर,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

1218

पृ.प.सं. व दिनांक उक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2-महालेखाकार, उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस, इन्द्रा नगर, देहरादून।
- 3-अध्यक्ष / सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, देहरादून / हल्द्वानी।
- 4-एडिशनल कमिशनर, वाणिज्य कर, गढ़वाल जोन, देहरादून / कुमायूँ जोन, रुद्रपुर।
- 5-समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर(कार्यपालक) वाणिज्य कर, देहरादून / हरिद्वार / काशीपुर / हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियों कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों / व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों / बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 6-ज्वाइन्ट कमिशनर(वि.अनु.शा. / प्रव.) वाणिज्य कर, हरिद्वार / रुद्रपुर।
- 7-ज्वाइन्ट कमिशनर(अपील) वाणिज्य कर, देहरादून / हल्द्वानी।
- 8-वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को वाणिज्य कर विभाग की वेबसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।
- 9-नेशनल लॉ हाउस, बी-2, मॉर्डन प्लाजा बिल्डिंग, अम्बेडकर रोड, गाजियाबाद।
- 10-नेशनल लॉ एंड मैनेजमेन्ट हाउस-आर 15/5, राजनगर, गाजियाबाद।
- 11-लॉ पब्लिकेशन, व्यापार कर भवन, कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड, राजनगर, गाजियाबाद।
- 12-कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाइल हेतु।
- 13-विधि-अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।

आयुक्त कर,

27/6/2009

उत्तराखण्ड, देहरादून।